न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः—पीयूष समारिया, I.A.S.

(1) प्रकरण संख्या 115 / 2025
जीसीएमएस नं0 2025 / 214

1. रविन्द्र सिंह पुत्र स्वर्गीय रामसिंह, पता मकान नं0 217, सेक्टर 4, रंगबाडी मैन रोड केशवपुरा कोटा पुलिस थाना महावीर नगर, कोटा

—अपीलाण्ट.

बनाम

1. विनय कुमार सिंह पुत्र श्री रविन्द्र सिंह निवासी मकान नं0 218, सेक्टर4, रंगबाडी मेन रोड केशवपुरा कोटा पुलिस थाना महावीर नगर कोटा
2. बृजेश सिंह पुत्र श्री रविन्द्र सिंह निवासी मकान नं0 218 सेक्टर 4, रंगबाडी मेन रोड केशवपुरा कोटा पुलिस थाना महावीर नगर कोटा राजस्थान

—— रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2007 विरूद्व निर्णय दिनांक 27.10.2025 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा

उपस्थितः—

1. श्री दिनेश राय द्विवेदी,
   शिव प्रताप यादव, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री कुलदीप सिंह , अभिभाषक रेस्पोडेन्ट नं0 1

(2) प्रकरण संख्या 116 / 2025
जीसीएमएस नं0 2025 / 193

1. विनय कुमार सिंह पुत्र श्री रविन्द्र सिंह निवासी मकान नं0 218, सेक्टर4, रंगबाडी मेन रोड केशवपुरा कोटा पुलिस थाना महावीर नगर कोटा

—अपीलाण्ट.

बनाम

1. रविन्द्र सिंह पुत्र स्वर्गीय रामसिंह, पता मकान नं0 217, सेक्टर 4, रंगबाडी मैन रोड केशवपुरा कोटा पुलिस थाना महावीर नगर, कोटा
2. बृजेश सिंह पुत्र श्री रविन्द्र सिंह निवासी मकान नं0 218 सेक्टर 4, रंगबाडी मेन रोड केशवपुरा कोटा पुलिस थाना महावीर नगर कोटा राजस्थान

—— रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2007 विरूद्व निर्णय दिनांक 27.10.2025 मिसल नम्बर 56 /2025 उनवान रविन्द्र सिंह बनाम विनय कुमार सिंह व अन्य न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा

उपस्थितः—

1. श्री कुलदीप सिंह , अभिभाषक अपीलांट
2. श्री दिनेश राय द्विवेदी,
   श्री शिव प्रताप यादव, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट नं0 1

निर्णय

दिनांक– 15.04.2026

1. उपरोक्त दोनों अपील प्रकरण संख्या 115/2025 उनवान रविन्द्र बनाम विनय वगै0 एवं प्रकरण संख्या 116/2025 उनवान विनय बनाम रविन्द्र वगै0 अधीनस्थ ट्रिब्यूनल न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा के प्रकरण संख्या 56 /2025 उनवान रविन्द्र सिंह बनाम विनय कुमार सिंह व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 27.10.2025 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है । दोनों अपीलों में पक्षकार एवं अभिभाषक एवं प्रकरण की विषयवस्तु एक ही होने एवं एक ही निर्णय की अपीले होने से दोनों अपीलों का निर्णय एकसाथ ही किया जा रहा है ।
2. प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ ट्रिब्यूनल न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा द्वारा प्रार्थी रविन्द्र सिंह के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 पेश किया जाने पर प्रस्तुत प्रार्थना पर दिनांक 27.10.2025 को आदेश पारित किया है कि–" अप्रार्थीगण को उक्त मकान से बेदखल किये जाने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है जिस कारण से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भरण पोषण अधिनियम स्वीकार कर अप्रार्थीगण को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भरण पोषण अधिनियम स्वीकार कर अप्रार्थीगण को उक्त मकान नं0 218 सेक्टर 4 रंगबाडी मेन रोड केशवपुरा कोटा से बेदखल किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है । परन्तु न्यायहित एवं सीनियर सिटीजन एक्ट की भावना को मध्यनजर रखते हुये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार कर अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि भविष्य में अप्रार्थीगण प्रार्थी के साथ गाली गलोच एवं मारपीट नहीं करें ओर ना ही उनके साथ किसी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक क्रूरता कारित करें तथा उनके शांतिपूर्ण जीवन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें । उक्त मकान के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करें । चूंकि उक्त मकान प्रार्थी के स्वामित्व में है अतः अप्रार्थी नं0 1 को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त मकान में निवास हेतु 2000/– प्रति कमरा अनुसार राशि का भुगतान प्रार्थी को करें ।
3. अपीलान्ट प्रार्थी रविन्द्र कुमार ने उक्त आदेश दिनांक 27.10.2025 की अप्रसन्नता में यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 25.11.2025 को जरिये अभिभाषक पेश की गई है जो अन्दर मियाद है । अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी हेतु रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट नं0 1 की ओर से अभिभाषक श्री कुलदीप सिंह का वकालतनामा पेश हुआ । शेष रेस्पोडेन्ट 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित है । इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 27.10.2025 की अपील अप्रार्थी नं0 1 विनय कुमार द्वारा भी प्रस्तुत की गई है जो दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट नं0 1 की ओर से दिनेश राय द्विवेदी का वकालतनामा पेश हुआ रेस्पो0 नं0 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित है । दोनों अपीले एक ही आदेश की होने व अभिभाषक व पक्षकार समान होने से दोनों की बहस एक साथ सुनी गई ।
4. वकील प्रार्थी अपीलांट ने अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही अपनी बहस में दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी एक 80 वर्ष का नागरिक है तथा अपनी पत्नी के साथ इस अपील में वर्णित पते पर निवास करता है । प्रार्थी व उसकी पत्नी वृद्व है और अक्सर बीमार रहते है । मकान तीन मंजिला है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर दो कमरे और दो दुकानें बनी है, एक दुकान खाली तथा एक किराए पर दे रखी है । प्रथम तल पर तीन कमरे है दो कमरे किराए पर दे रखे है तथा एक कमरे में अपीलार्थी व उसकी पत्नी निवास करते है । उक्त मकान के ग्राउंड फ्लोर के एक कमरे तथा प्रथम तल के एक कमरे में अपीलार्थी का छोटा पुत्र प्रत्यर्थी कम 2 बृजेश सिंह निवास करता है जिसकी पत्नी फेफडों की बीमारी से ग्रस्त है, जिसे लगातार ऑक्सीजन पर रखना पडता है । प्रत्यर्थी कम 2 ही अपीलार्थी और उसकी पत्नी की भी देखभाल व सेवा सुश्रूषा करता है । अपीलार्थी का बडा पुत्र प्रत्यर्थी कम 1 उसकी पत्नी रिनेश सिंह के साथ इसी मकान में द्वितीय तल पर निर्मित एक कमरा, रसोई लेट बाथ व एक टीन शेड वाले

बरांडा का अपने निवास के लिए उपयोग करता है, प्रत्यर्थी क्रम 1 का एक पुत्र जयन्त सिंह ग्राउंड फ्लोर के एक कमरे को अपने निवास हेतु उपयोग करता है । प्रत्यर्थी क्रम 1 उसकी पत्नी रितेश सिंह तथा पुत्र जयन्त सिंह आए दिन अपीलार्थी उसकी पत्नी के साथ गाली गलोच और लडाई झगडा करते रहते है और इस मकान का दो हिस्सों में बंटवारा करके आधा हिस्सा उसे देने के लिए दबाव डालते रहते है दिनांक 2.7.2025 को प्रत्यर्थी क्रम 1 ने किराएदार स्टूडेन्ट के पास जाकर मकान खाली करने को कहा इस पर प्रार्थी अपीलांट व उसकी पत्नि ने ऐसा करने से मना किया तो अपीलांट व उसकी पत्नि से मारपीट करने लगा व चोटे कारित कर दी । इस पर पुलिस को सूचना देने पर पुलिस प्रत्यर्थी क्रम 1 को थाने ले गयी तथा धारा 170 में गिरफ्तार कर 126 व 135 पाबंद किया गया । विवादग्रस्त मकान प्रार्थी अपीलार्थी की स्वअर्जित संपत्ति है वह इस मकान में प्रत्यर्थी क्रम 1 व 2 को नहीं रखना चाहता है और मकान से बेदखल करना चाहता है इस कारण से उसने यह आवेदन अधिकरण में पेश किया है आवेदन का जवाब प्रत्यर्थी क्रम 1 ने दिया है । अधीनस्थ अधिकरण ने तथ्यों की विवेचना करते हुए इस तथ्य को प्रमाणित माना है कि वादग्रस्त मकान अपीलार्थी के स्वामित्व का है । यह भी माना है कि प्रत्यर्थी क्रम 1 उसकी पत्नी नीनेश सिंह तथा पुत्र जयन्त सिंह को पुलिस ने शान्ति भंग नहीं करने के लिए छह माह के लिए पाबंद कराया है किन्तु यह नहीं माना है कि है कि प्रत्यर्थी क्रम 1 ने अपीलार्थी की पत्नी को गंभीर चोट पहुंचायी है इसी तरह अपीलार्थी द्वारा खण्डन न करने के आधार पर यह भी मान लिया है कि अपीलार्थी व उसकी पत्नी आवंली रोझडी वाले मकान में निवास करते है । इस विवेचना के आधार पर अधीनस्थ अधिकरण ने प्रत्यर्थी क्रम 1 को मकान से बेदखल करने के लिए कोई उचित आधार नहीं माना है ।

5. अपीलांट प्रार्थी ने आगे यह भी कथन किया है कि अधीनस्थ अधिकरण का निर्णय विधि तथा तथ्यों के विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय ने खंडन नहीं किए जाने के आधार पर प्रत्यर्थी क्रम 1 के कथन मात्र पर बिना किसी साक्ष्य के यह तथ्य मिथ्या होते हुए भी यह निष्कर्ष निकाल कर गंभीर त्रुटि की है कि अपीलार्थी और उसकी पत्नी आंवली रोझडी वाले मकान में निवास करते है जबकि तथ्य इसके विपरीत है यथार्थ यह है कि प्रत्यर्थी क्रम 1 कोटा से बाहर नोकरी करता था, 2008 में कारखाना बन्द हो जाने और अन्य कोई यथोचित रोजगार न मिलने के कारण उसने कोटा आकर रहने की योजना बनायी तब अपीलार्थी ने उसके तथा उसके परिवार के लिए एक मकान आंवली रोझडी में खरीदा और उसमें कुछ निमार्ण कार्य भी कराया जिससे वह निवास के योग्य हो सकें । इस मकान को खरीने और निमार्ण करने में लगभग 27 लाख रूपया खर्च हुआ इसमें 7 लाख रूपया प्रत्यर्थी क्रम 1 ने तथा लगभग 20 लाख रूपया अपीलार्थी ने खर्च किया कोटा आने पर प्रत्यर्थी आवंली रोझडी वाले मकान में निवास करने लगा । बाद में आवंली रोझडी वाला मकान शहर से दूर होने और बच्चों की पढाई में परेशानी होने के कारण उसने बच्चों को नगर में रखने की समस्या बतायी तो अपीलार्थी ने बच्चों की पढाने के लिए रहने हेतु नगर में मकान किराए पर लेकर रहने को कहा तो अपीलार्थी ने अपने ही मकान में रहने को स्थान दे दिया प्रत्यर्थी क्रम 1 अपीलार्थी के मकान में आकर रहने लगा, उसका अधिकांश सामान अभी भी आवंली रोझडी वाले मकान में ही है और उसने वहां अपना ताला लगा रखा है अब प्रत्यर्थी क्रम 1 के मन में बदयांति आ अयी और वह अपीलार्थी के मकान का बंटवारा कर उसका आधा हिस्सा मांगने लगा है और उसी के लिए आए दिन लडाई झगडा करता है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को अपने द्वारा कथित कथनों को प्रमाणित करने तथा प्रत्यर्थी क्रम 1 द्वारा कथित मिथ्या कथनों का खंडन करने का कोई अवसर ही प्रदान नहीं करके भारी त्रुटि की है । इस अधिनियम में अधीनस्थ अधिकरण तथा अपीलीय अधिकराण को पुत्र व उसके परिवार को उसके वरिष्ठ नागरिक माता पिता के मकान से बेदखल करने हेतु आदेश प्रदान करने का अधिकार प्राप्त है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने इस अधिकार का उपयोग नहीं किया है । यहां स्थिति स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी के पास स्वयं के रहने के लिए आवंली रोझडी में पूरा मकान मौजूद है लेकिन वह पुत्र की पढाई के बहाने यहां अपलार्थी के मकान में आकर रहने लगा और अब अपीलार्थी के मकान का नाजायज रूप से आधा हिस्सा

प्राप्त करने के लिए अपीलार्थी व उसकी पत्नी के साथ झगडा करता है और मारपीट करने पर आमादा रहता है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को दिलायी गयी राहत के अलावा प्रत्यर्थी कम 1 को अपीलार्थी के मकान में जिस हिस्से में वह निवास कर रहा है उसे खाली कर उसका कब्जा अपीलार्थी को सौंपने का आदेश पारित कर अनुग्रहित करें । वकील अपीलान्ट ने अपने कथनों के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय का न्यायिक निर्णय दिनांक 12.9.2025 KAMALKANT MISHRA V/s ADITIONAL COLLECTOR AND OTHERS एवं पंजाब एवं हरियाना उच्च न्यायालय का न्यायिक निर्णय SAVITA SHARMA AND OTHER V/s dISTRICT MAGISTRATE AND OTHERS प्रस्तुत किये है ।

6. वकील रेस्पोडेन्ट अप्रार्थी नं0 1 विनय कुमार द्वारा जरिये अपील के कथन किया है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन नहीं किया जबकि प्रार्थना पत्र तथा अप्रार्थी कम 2 प्रस्तुत जवाब के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित था कि रेस्पोडेंट कम 1 प्रार्थी व रेस्पोडेंट कम 2 अप्रार्थी कम 2 द्वारा कोल्यूजन कर अपीलांट अप्रार्थी कम 1 को येनकेन प्रकारेन प्रार्थना पत्र में वर्णित मकान से बेदखल करने पर आमादा है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट के उपरोक्त वर्णित कोल्यूजन के तथ्य का गंभीरता पूर्वक अवलोकन नहीं कर आलोच्य आदेश पारित कर गंभीर कानूनी त्रुटि की है जो इसी आधार पर अपास्त किये जाने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट कम 1 प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में जो अनुतोष नहीं चाहा गया है इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी कम 1 अपीलांट को मकान में निवास हेतु दो हजार रूपए प्रति कमरा की दर से अपीलांट प्रार्थी को भुगतान का आदेश किया जो पूर्णतः विधि के विरूद्व है । अधीनस्थ न्यायालय को प्रार्थना पत्र में चाहे गये अनुतोष के अतिरिक्त ऐसा कोई अनुतोष प्रदान करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है जिसकी प्रार्थना ही न की गई हो और वह भी इन परिस्थितियों में जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र में चाहे गए मूल अनुतोष को ही अस्वीकार कर दिया गया हो । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 27.10.2025 पारित करते समय अपीलांट को प्रार्थना पत्र में वर्णित संपत्ति का किरायेदार घोषित कर दिया है जबकि रेस्पोडेंट कम 2 भी उपरोक्त वर्णित संपत्ति पर अपने परिवार सहित निवासरत है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के आदेश अपने आप में ही पक्षपात पूर्ण है । यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि रेस्पोडेन्ट कम 1 प्रार्थी जो प्रार्थना पत्र में वर्णित मकान में निवास नहीं करते है वह पिछले कई सालों से अपने आंवली रोझडी स्थित मकान पर निवास करते है । प्रार्थना पत्र में वर्णित मकान से अपीलांट को बेदखल करने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से कुछ दिवस पहले रेस्पोडेन्ट कम 1 प्रार्थी ने रेस्पोडेन्ट कम 2 के साथ आकर मकान में रहने लगे और उसके साथ दुरभिसंधि कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और अधीनस्थ न्यायालय ने भी इस तथ्य पर गौर किये बिना अपीलांट के साथ पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाते आलौच्य आदेश पारित कर दिया है जो इसी आधार पर अपास्त किये जाने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय आलोच्य आदेश पारित करते समय जो आर्थिक राशि रेस्पोडेंट कम को दिये जाने का आदेश पारित किया है वह पूर्णतः विधि विरूद्व इललीगल, विधि के सुस्थापित सिद्वांतों के विपरीत है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह निर्विवादित रूप से स्पष्ट था कि प्रार्थना पत्र में वर्णित मकान में किरायेदार रखे हुए है जिनका किराया रेस्पोडेंट कम 1 प्रार्थी ही वसूल रहे है और रेस्पोडेंट कम 2 के साथ दुरभिसंधि कर अपीलांट मकान खाली कराना चाहते है ताकि और किरायेदार रख सकें और उक्त रकम को रेस्पोडेंट कम 2 पर खर्च कर सकें । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 27.10.2025 में अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता महोदयों की उपस्थिति लिखी है तथा पूर्व की आदेशिकाओं में अधिवक्तागणों की उपस्थिति दर्शाई गई है किन्तु बहस का अवसर बंद करने का अंकन किया गया है जब अधिवक्तागण प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित हो रहे है और बहस को तैयार रहते है इसके बावजूद भी बहस नहीं सुनी जाती किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में बहस का अवसर बंद करना भी इनलीगल और आरबीट्रेरी है । इस प्रकार अपीलांट अप्रार्थी नं0 1 विनय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 56/2025 में पारित आदेश 27.10.2025 को अपास्त करने का निवेदन किया है ।

7. हमने दौनों अपील प्रकरण संख्या 115/2025 उनवान रविन्द्र सिंह बनाम विनय कुमार सिंह एवं प्रकरण सं0 116/2025 विनय कुमार सिंह बनाम रविन्द्र सिंह में उभयपक्षकारान के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थी अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश दिनांक 27.10.2025 की अप्रसन्नता में यह अपील प्रस्तुत करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में दिये गये अनुतोष के अतिरिक्त वर्णित मकान से रेस्पोडेन्टगण को बेदखल करने का अनुतोष इस अपील के जरिये चाहा गया है । इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट नं0 1 विनय कुमार ने अपील प्रकरण संख्या 116/2025 के जरिये जवाब के रूप में अपना अभिकथन प्रस्तुत करते हुए तर्क दिया है कि प्रार्थी अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में जो अनुतोष नहीं चाहा था वह भी दे दिया गया है अर्थात प्रार्थी अपीलांट के मकान में निवास के लिए प्रत्येक कमरे का किराये के तौर पर 2000/– मासिक अपीलांट को अदा करने के आदेश को विधि विरूद्व बताया है । प्रस्तुत दोनों अपीले निर्धारित अवधि 60 दिवस की मियाद सीमा में पेश हुई है ।

8. पत्रावली के अद्योपांत अवलोकन एवं उभयपक्षकरान की बहस से यह जाहिर आया है कि वर्णित विवादित मकान नं0 218 सेक्टर 4, रंगबाडी मेन रोड केशवपुरा कोटा प्रार्थी अपीलांट के स्वामित्व का है, जिसकी पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आवंटन आदेश से होती है । अपीलांट उक्त वर्णित मकान से रेस्पोडेन्ट को बेदखल करा सकते है, प्रार्थी अपीलांट रविन्द्र सिंह द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत मतदाता सूचियों से रेस्पोडेन्ट नं0 2 एवं उनके परिवार का एवं रेस्पोडेन्ट नं0 1 के परिवार का मतदाता सूची में नाम मकान संख्या 225 रोझडी में होना जाहिर आया है, यह भी स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट नं0 1 विनय सिंह परिवार के साथ पूर्व में रोझडी में ही निवास करता था किन्तु बच्चों की पढाई के कारण दूरी अधिक होने से प्रार्थी अपीलांट के पास निवास करने लगा है, इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट की बेदखली उचित नहीं मानते हुए 2000/– प्रतिमाह प्रति कमरे के प्रार्थी अपीलांट को भुगतान के आदेश पारित किये है तथा प्रार्थी अपीलांट से लडाई झगडा आदि नहीं करने का आदेश पारित किया है जो न्याय की दृष्टि से उचित है । रेस्पोडेन्ट नं0 1 द्वारा अपील संख्या 116/2025 के जरिये चाहा गया अनुतोष स्वीकार योग्य नहीं है, इसी प्रकार प्रार्थी अपीलांट द्वारा अपील संख्या 115/2025 के जरिये रेस्पोडेन्ट की बेदखली का चाहा गया अनुतोष स्वीकार योग्य नहीं पाते है । अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 27.10.2025 में हस्तक्षेप उचित नहीं है ।

9. उपरोक्त विवेचनानुसार प्रकरण संख्या 116/2025 विनय बनाम रविन्द्र स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । इसी प्रकार अपील प्रकरण संख्या 115/2025 रविन्द्र बनाम विनय के जरिये रेस्पोडेन्ट की बेदखली उचित नहीं पाते है, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश उचित होने से हस्तक्षेप की कोई गुंजायश नहीं होने से यथावत रखा जाता है ।

10. निर्णय आज दिनांक 15.4.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(पीयूष समारिया)
अपील अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलक्टर
कोटा